राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि/आयो/2018 जयपुर, दिनांकः 06.06.2018

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(1)प्राशि/आयो/2016 जयपुर दिनांक 20 सितम्बर 2016 के द्वारा B.Ed./D.El.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो के लिए प्रथम वर्ष मे 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष मे 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयो मे ही किया जाना निश्चित किया गया है। **B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षाणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय/निजी विद्यालयो का आवंटन करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, प्रथम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।**

नोडल अधिकारियो द्वारा प्रशिक्षाणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

1. सामान्य निर्देश :–

1.1 B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षाणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन करने के लिए जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगीः–

i-	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम (नोडल अधिकारी)	**–समन्वयक**
ii-	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, द्वितीय	**–सदस्य**
iii-	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय	**–सदस्य**
iv-	प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)	**–सदस्य**
v-	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी/अति. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम	**–सदस्य सचिव**

1.2 प्रशिक्षणार्थियो को उनके गृह जिले मे इंटर्नशिप कार्यक्रम किए जाने की अनुमति होगी।

1.3 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित अंकभार प्रदान करते हुए इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित अंकभार प्रदान करते हुए इन्टर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए)/ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा।

2. इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन समय निर्धारण

2.1 डी.एल.एड/बी.एड में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार दो चरणों में सम्पादित की जावेगीः–